



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102025-266756  
CG-DL-E-08102025-266756

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4432]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 4432]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4560(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130D के कि.मी. 20.400 से कि.मी. 48.800 तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-130D के कि.मी. 20.400 से कि.मी. 48.800 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH130D	छत्तीसगढ़	नारायणपुर	नारायणपुर	1 सिवनी

	एवं भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर	के कि.मी 20.4 से कि.मी 48.8 तक			
--	--------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--

[फा. सं. RW/RO/CG/NH-130D/LA/3a]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2025

**S.O. 4560(E).**—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, Districts, Taluk and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 20.400 to 48.800 in District- Narayanpur NH-130D in the State of Chhattisgarh.

**SCHEDULE**

**Acquisition of Land in respect of NH-130D in the State of Chhattisgarh of on the stretch from Km. 20.400 to Km. 48.800 for Widening of Road.**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Div. Officer (R) Narayanpur	NH130D KM 20.4 TO KM 48.8	CHHATTISGARH	NARAYANPUR	Narayanpur	1 Sivni

[F. No. RW/RO/CG/NH-130D/LA/3a]

SHAIKH AMINKHAN, Director